

पत्रांक: / आयु०कर, उत्तरा० / फार्म—अनु०/ 2014—15 / आ०घो०प० / खोया / चोरी / नष्ट हुए / दे०दून  
 कार्यालय—आयुक्त कर, उत्तराखण्ड  
 (फार्म—अनुभाग )  
 देहरादून ::दिनांक:: ०५ जून, 2014

### विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियमावली—2005 के नियम—30(12) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके मैं एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तराखण्ड, निम्नलिखित सूची में उल्लिखित प्रान्तीय प्रपत्र फार्म—16 जिनके खो जाने/ चोरी हो जाने/ मिसिंग हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में नियम—30 के उपनियम (9) के अन्तर्गत सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं, को तत्कालिक प्रभाव से अवैध घोषित करता हूँ :—

क्र० सं०	व्यापारी का नाम व पता	खोये/ चोरी/ नष्ट हुए फार्मों/ स्टैम्प की संख्या	खोये/ चोरी/ नष्ट हुए फार्मों/ स्टैम्प की सीरीज व क्रमांक	फार्म/ स्टैम्प को अवैध घोषित किये जाने का कारण
1.	सर्वश्री शीलचन्द्र इण्ड०, लालपुर, किंच्छा। टिन—05004553981	प्ररूप—XVI (06)	<u>U.K.VAT-M 2012</u> 1919810 to 1619814, 1619818	खोने के कारण
2.	सर्वश्री श्रेया पैकेजिंग प्रा०लि०, काशीपुर। टिन—05006406875	प्ररूप—XVI (01)	<u>U.K.VAT-M 2012</u> 2327657	खोने के कारण
3.	सर्वश्री आनन्द आडवानी, बरेली रोड, हल्द्वानी। टिन—05001439311	प्ररूप—XVI (01)	<u>U.K.VAT-M 2012</u> 2059154	खोने के कारण
4.	सर्वश्री सिद्धराजी ट्रेडिंग कम्पनी, आनन्द नगर बालावाला, देहरादून। टिन—05014115174	प्ररूप—XVI (02)	<u>U.K.VAT-M 2012</u> 5002312 5002313	खोने के कारण
5.	सर्वश्री नरेशान्जली एण्टर प्राईजेज, रानीविला बालावाला, देहरादून टिन—05007034659	प्ररूप—XVI (01)	<u>U.K.VAT-M 2012</u> 2064841	खोने के कारण

(पीयूष कुमार)

एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,  
मुख्यालय, देहरादून।

पू०प०संख्या १०२९ / दिनांक उक्त |

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1— संयुक्त निदेशक, राजकीय लिथो प्रेस, रुड़की (हरिद्वार) को इस आशय से प्रेषित कि इसे अगले गजट में प्रकाशित कराते हुए इसकी 50 प्रतियाँ कार्यालय आयुक्त कर उत्तराखण्ड, जोगीवाला मसूरी बाईपास रोड, देहरादून को प्राप्त कराने का कष्ट करें।
- 2— एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, गढ़वाल जोन देहरादून/ कुमाऊँ जोन रुद्रपुर।
- 3— ज्वाइन्ट कमिश्नर(वि.अनु.शा./ प्रवर्तन)वाणिज्य कर, गढ़वाल जोन हरिद्वार/ कुमाऊँ जोन रुद्रपुर।
- 4— ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक)वाणिज्य कर देहरादून/ हरिद्वार/ काशीपुर/ हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे उक्त पत्र की प्रतियाँ समस्त कर निर्धारण अधिकारियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5— डिप्टी कमिश्नर(वि.अनु.शा.) वाणि०कर, इकाई ए, बी—देहरादून/ हरिद्वार/ हल्द्वानी एवं काशीपुर, रुद्रपुर।
- 6— डिप्टी कमिश्नर (प्रवर्तन) वाणिज्य कर, देहरादून/ हरिद्वार/ काशीपुर/ हल्द्वानी।
- 7— असिस्टेन्ट कमिश्नर सचलदल इकाई ए, बी—विकासनगर/ देहरादून, ऋषिकेश, इकाई ए, बी—हरिद्वार, लक्सर, रुड़की(नारसन), भगवानपुर, कौड़िया, अमरपुर, जसपुर, इकाई ए, बी—काशीपुर, बाजपुर, इकाई ए, बी—रुद्रपुर, किंच्छा, खटीमा, सितारगंज, टनकपुर, रामनगर, इकाई ए, बी— हल्द्वानी।
- 8— श्री रोशनलाल, डिप्टी कमिश्नर(क०नि०)-३ वाणिज्य कर, देहरादून/ web.Information officer को विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर

मुख्यालय, देहरादून।

पत्रांक: /आयु0क0उत्तरा0/फार्म—अनु0/2014—15/केन्द्रीय फार्म—सी/खोया/चोरी/नष्ट हुए/दे0दून  
 कार्यालय—आयुक्त कर, उत्तराखण्ड  
 (फार्म—अनुभाग)  
 देहरादून दिनांक: 06 जून, 2014

### विज्ञप्ति

केन्द्रीय बिक्रीकर (उत्तराखण्ड) नियमावली—2006 के नियम—8(13) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके मैं आयुक्त कर, उत्तराखण्ड निम्नलिखित सूची में उल्लिखित “फार्म—सी/एफ” जिनके खो जाने/चोरी हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त हुई है, को सार्वजनिक प्रकाशनार्थ अनुमति प्रदान करते हुए इन फार्म्स के प्रयोग को अवैध घोषित करता हूँ।

क्र0 स0	व्यापारी का नाम, पता व टिन नं0	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों की संख्या	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों की सीरीज/क्रमांक	फार्म को अवैध घोषित किये जाने का कारण
1.	सर्वश्री हैवल्स इण्डिया लि0, प्लॉट नं0—2ए, सैक्टर—10, सिडकुल इण्डस्ट्रीयल एरिया, हरिद्वार। टिन नं0-05005511468	(Form-C)--01	U.K.VAT/C-2009 0232102	खोने के कारण
2.	सर्वश्री हैवल्स इण्डिया लि0, प्लॉट नं0—2ए, सैक्टर—10, सिडकुल इण्डस्ट्रीयल एरिया, हरिद्वार। टिन नं0-05005511468	(Form-F)--01	U.K.VAT/F-2007 170059	खोने के कारण
3.	सर्वश्री जयश्री पॉलीमर्स प्रा0लि0, प्लॉट नं0—30 इण्डस्ट्रीयल पार्क नं0—4, ग्राम— बेगमपुर, हरिद्वार। टिन नं0-05009059728	(Form-C)--01	U.K.VAT/C-2009 0348324	खोने के कारण
4.	सर्वश्री वंदना मेडिकल एजेन्सीज, देहरादून। टिन नं0-05000792030	(Form-C)--08	U.K.VAT/C-2009 0289991 to 0289996, 0057504, 0057507	खोने के कारण

(दिलीप जावलकर)

आयुक्त कर, उत्तराखण्ड।

पृ0प0संख्या 1078 व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समर्त आयुक्त कर/बिक्री कर/वाणिज्य कर/आबकारी एवं कराधान आयुक्त, भारत के सभी राज्य एवं केंद्रीय शासित संघों को।
2. उप निदेशक, राजकीय लिथो प्रेस, रुड़की (हरिद्वार) को इस आशय से प्रेषित कि इसे गजट में प्रकाशित कर हुए इसकी 50 प्रतियाँ कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड, जोगीवाला मसूरी बाईपास रोड, देहरादून को प्राप्त कराने का कष्ट करें।
3. एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, गढ़वाल जोन, देहरादून/कुमाऊँ जोन, रुद्रपुर।
4. ज्वाइन्ट कमिश्नर(वि.अनु.शा./प्रवर्तन)वाणिज्य कर, गढ़वाल जोन, हरिद्वार/कुमाऊँ जोन, रुद्रपुर।
5. ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक)वाणिज्य कर देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने अधिक्षेत्र के समर्त कर निर्धारण अधिकारियों को उक्त के सम्बन्ध में सूचित करें।
6. श्री रोशन लाल, डिप्टी कमिश्नर(क0नि0)-3, वाणिज्य कर, देहरादून/web. information officer को विभागीय वेब साईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

(पीयूष कुमार)

एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर  
मुख्यालय, देहरादून।